राज्यांश

केन्द्र प्रायोजित योजना

बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–5/निदे0(प्रवे0 छात्र0)–01–10/2021– 100

प्रेषक,

प्रियंका रानी, भा0प्र0से0
निदेशक

सेवा में,

उप सचिव,
–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक –13/08/2026

विषयः–**वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रथम अनुपूरक के आगणन से केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत् राज्यांश मद में ₹50,00,00,000 (पचास करोड़ रू0) मात्र राशि का अतिरिक्त आवंटन।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनु0 जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत् विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–99 दिनांक–13/08/2026 द्वारा राज्यांश मद के लिए ₹50,00,00,000 (पचास करोड़ रू0) मात्र राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश एवं भारत सरकार के दिशा–निर्देश के आलोक में राशि की निकासी कर SNA खाते में संधारित करने हेतु राज्यांश मद में कुल ₹50,00,00,000 (पचास करोड़ रू0) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2–वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के O.M. दिनांक–23.03.2021 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में इस आवंटित राशि का व्यय Single Nodal Agency (SNA) एवं Implementing Agency (IA) के बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।

3–**राज्यांश मद** के लिए राशि मांग सं0–44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष–''2225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण--उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0319–पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति विषय शीर्ष–0319.34.01 छात्रवृत्ति वजीफा– विपत्र कोड सं0–44–2225012770319'' पी0एफ0 एम0एस0 कोड–2063 के तहत् विकलनीय होगा।

4–इस योजना के लिए निकासी पदाधिकारी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग तथा व्ययन पदाधिकारी Implementing Agency (IA) के रूप में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव/सचिव द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी कर Single Nodal Agency (SNA) के बैंक खाता सं0–40327754529, IFSC-SBIN0000153, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सिंचाई भवन, पटना में संधारित करेंगे।

5–Implementing Agency (IA) शिक्षा विभाग के व्ययन पदाधिकारी, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय करेंगे तथा व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी समय–समय पर अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे। इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.4.98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे। संकल्प संख्या–3098 दिनांक–20.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

6–अनु0 जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि का व्यय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों एवं

विभागीय संकल्प सं0–4061 दिनांक–16.05.2016, संकल्प संख्या–3098 दिनांक–20.12.2017, संकल्प संख्या–386 दिनांक–15.02.2018 एवं संकल्प संख्या–636 दिनांक–03.02.2026 के आलोक में तथा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निदेश के आलोक में किया जायेगा।

7– वित्तीय वर्ष 2025–26 के केन्द्र प्रायोजित अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लंबित मामलो को इस राशि से भुगतान किया जा सकता है।

8–अनु0 जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति का भुगतान DBT के माध्यम से किया जाएगा। जिला स्तरीय छात्रवृति चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में छात्रवृत्ति वितरण की कार्रवाई की जाएगी।

9–शिक्षा विभाग, छात्रवृति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित समय–सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

10–इस आवंटन की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

विश्वासभाजन

निदेशक

ज्ञापांक–5/निदे0(प्रवे0 छात्र0)–01–10/2021– 100 पटना, दिनांक– 13/08/2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक–5/निदे0(प्रवे0 छात्र0)–01–10/2021– 100 पटना, दिनांक– 13/08/2026

प्रतिलिपि–विकास आयुक्त, बिहार/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, वित्त विभाग/सचिव, शिक्षा विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक–5/निदे0(प्रवे0 छात्र0)–01–10/2021– 100 पटना, दिनांक– 13/08/2026

प्रतिलिपिः–सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक–5/निदे0(प्रवे0 छात्र0)–01–10/2021– 100 पटना, दिनांक– 13/08/2026

प्रतिलिपिः–लेखा शाखा (2 प्रति में)/प्रभारी बजट शाखा/प्रशाखा पदा0–5डी0/आई0 टी0 मैनेजर/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक

ज्ञापांक–5/निदे0(प्रवे0 छात्र0)–01–10/2021– 100 पटना, दिनांक– 13/08/2026

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक